संख्या- 20 /2017/209/22-4-17-50(7नि0)/99टीसी

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
अनु सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं
उ0प्र0, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक- 31 मार्च, 2017

विषय- प्रदेश की 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अग्रिम भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया पत्र संख्या-6374/आधु0-1/मो0फो0जै0/2014, दिनांक 02 मार्च, 2017 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा प्रदेश की कारागारों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ किये जाने हेतु द्वितीय चरण में 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु शासनादेश संख्या-140/2016/982/22-4-16-50(7नि0)/99टीसी, दिनांक-02 सितम्बर, 2016 द्वारा रू0 71,28,80,000/-(रूपया इकहत्तर करोड़ अट्ठाइस लाख अस्सी हजार मात्र) की लागत पर प्रशासकीय/वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसकी 40 प्रतिशत धनराशि रू0 2851.52 लाख कार्यदायी संस्था को अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की अनुमति शासनादेश दिनांक 02.01.2017 द्वारा प्रदान की जा चुकी है तथा अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि का अग्रिम भुगतान मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को किये जाने का प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- अत: उक्त प्रस्ताव के सन्दर्भ मुझे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय प्रदेश की 12 संवेदनशील कारागारों में मोबाइल फोन जैमर स्थापित किये जाने हेतु मूल स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष अवशेष 60 प्रतिशत धनराशि अर्थात रू0 42,77,28,000/-(रूपया बयालिस करोड़ सतहत्तर लाख अट्ठाइस हजार मात्र) मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड (ईसीआईएल) को आहरित कर अग्रिम के रूप में उपलब्ध कराये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) प्रश्नगत अग्रिम आहरण वित्त (लेखा) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-ए-1-2774/दस-15-1(1)/69, दिनांक 25.10.83 तथा संख्या-ए-1-235/दस-2011-15-1(1)/69, दिनांक 10.06.2011 में निहित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

(2) समस्त सम्बन्धित वित्तीय नियमों, प्रक्रिया और इस सम्बन्ध में समय-समय पर निर्गत आदेशों का भी अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-162 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी/अधिकारी धन को आहरित करेगा, वही उसके समायोजन हेतु भी जिम्मेदार होगा तथा यदि कोई क्षति होती है, तो उसके लिए भी सम्बन्धित कर्मचारी/अधिकारी जिम्मदोर होंगे।

(4) क्रय किये जाने वाले उपकरणों की गुणवत्ता एवं दर सुनिश्चित करने का दायित्व महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ का होगा।

(5) महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपकरणों की गुणवत्ता उच्च कोटि की हो एवं मूल्य प्रचलित बाजार दर से अधिक न हो।

(6) प्रक्योरमेण्ट मैनुअल के अध्याय-11 के प्रस्तर-11.18 के अनुसार ब्याज की देयता के सम्बन्ध में महानिरीक्षक कारागार, उ0प्र0 लखनऊ अपने स्तर से आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे।

(7) अग्रिम धनराशि के समतुल्य कार्यदायी संस्था से बैंक गारण्टी प्राप्त किया जाना सुनिश्चित कर लिया जायेगा।

(8) उक्त धनराशि का समायोजन दिनांक 31.03.2017 तक कर लिया जायेगा।

(9) उक्त धनराशि के आहरण से यदि कोई हानि होती है, तो आहरण-वितरण अधिकारी जिम्मेदार होंगे।

3- यह आदेश वित्त (लेखा) अनुभाग की अशासकीय संख्या-एफ0ए0-1-131/दस-2017, दिनांक- 31 मार्च, 2017 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

संख्या-20/2017/209(1)/22-4-17-तददिनांक-

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

(1) प्रधान महालेखाकार(सिविल आडिट) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(2) महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) उ0प्र0, इलाहाबाद।

(3) प्रबन्ध निदेशक, मैसर्स इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन आफ इण्डिया लिमिटेड, बी-2, डीडीए शापिंग काम्प्लेक्स रिंग रोड नारायना, नई दिल्ली ।

(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

(5) निदेशक, वित्तीय सांख्किीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।

(6) वित्त नियंत्रक, कारागार मुख्यालय, लखनऊ।

(7) वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-12/वित्त (लेखा) अनुभाग-1

(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(करूणेश कुमार सिंह)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in